

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग जिला नारायणपुर (छ0ग0)

दुरभाष : (07781) 252216-कार्यालय, 252215-फैक्स

Email : narayanpur.cg@nic.in, dmnpur@yahoo.com

क्रमांक 173 / कलेक्टर / भू-अर्जन शाखा / 2026

नारायणपुर, दिनांक 13 / 06 / 2025

// अधिसूचना //

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
नारायणपुर	नारायणपुर	परपा	5710.00 वर्गमीटर	नारायणपुर एवं छोटेडोंगर तहसील अंतर्गत बड़गांव-धूरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक 21.00 कि.मी लम्बाई मार्ग का निर्माण कार्य।

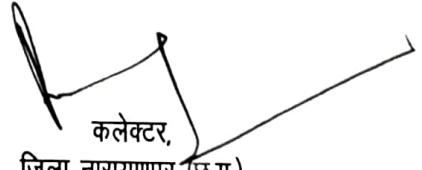
उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18/07/2025 तक प्रातः 10:00 बजे से संध्या 5:30 बजे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर के कक्ष क्रमांक - 12 पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- (एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण - नारायणपुर एवं छोटेडोंगर तहसील अंतर्गत बड़गांव-धूरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक 21.00 कि.मी लम्बाई मार्ग का निर्माण कार्य।
- (दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या - 09
- (तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या - 0
- (चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या - 0
- (पाँच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या - 0
- (छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है - 09
- (सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है - हां।
- (आठ) (प्रभावित ग्राम कुम्हारीबेड़ा, परपा, ताड़ोनार, गोटाबेनूर) परियोजना की कुल लागत - 3204.84 लाख।
- (नौ) परियोजना से होने वाला लाभ - परियोजना के पूर्ण होने पर तहसील छोटेडोंगर/ओरछा क्षेत्र के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय नारायणपुर हेतु कम लम्बाई की पंधुच मार्ग/सुगम यातायात सुविधा प्राप्त होगी। लौह अयस्क परिवहन मुक्त यातायात सुविधा हेतु ग्रामीणों को मार्ग उपलब्ध होगी।
- (दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय-5.00 लाख
- (ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक - 0

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

1. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर को मूल प्रकरण के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्र. 02 नारायणपुर को अधिसूचना का प्रकाशन प्रचलित दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में कराकर पेपर कटिंग प्रस्तुत करने तथा शासकीय मुद्रणालय छ.ग.राजनांदगांव के राजपत्र भाग-1 में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
5. डी.आई.ओ. विज्ञान एवं सूचना केन्द्र (एन.आई.सी) नारायणपुर को सूचनार्थ। इस अधिसूचना को छ.ग. शासन, राजस्व विभाग एवं जिले की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. तहसीलदार नारायणपुर अधिसूचना का प्रकाशन अनुविभाग कार्यालय, तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत के मुख्य स्थानों पर चस्पा करना सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन पश्चात् उसकी प्रति भू-अर्जन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति से जो विहित हो अथवा मुनादी कराया जाकर रिपोर्ट भू-अर्जन अधिकारी को दी जावे। यह भी आदेशित किया जाता है कि, छ.ग. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की कंडिका (4) एवं कंडिका (5) के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए यथाविहित भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण की जावे।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर को ग्राम पंचायत के मुख्य स्थानों पर चस्पा करना सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन पश्चात् उसकी प्रति भू-अर्जन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति से जो विहित हो अथवा मुनादी कराया जाकर रिपोर्ट भू-अर्जन अधिकारी को दी जावे।
8. ग्राम पंचायत बड़गांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर,
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

लोक निर्माण विभाग की बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा में मार्ग निर्माण परियोजना हेतु ग्राम परपा तहसील छोटेडोंगर, विकासखण्ड नारायणपुर - छत्तीसगढ़ की निजी भूमि अधिग्रहण प्रकरण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 के परिपेक्ष्य में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना।

स्थान - ग्राम परपा

दिनांक - ग्राम सभा 13.09.2025 / जन सुनवाई 09.10.2025

समय- सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

प्रस्तावना

यह आलेख ग्राम परपा विकासखंड नारायणपुर जि नारायणपुर में प्रस्तावित बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा में मार्ग निर्माण के लिये ग्राम परपा में 0.6292 हेक्टेयर पर सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात मूल्यांकन प्रतिवेदन है। लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार का एक उपक्रम है। इसका वर्तमान कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में है जो सम्पूर्ण राज्य के लिये सड़क पुल-पुलिया एवं भवन निर्माण करता है लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ .17-171/2022/19 / तक. 2 नया रायपुर दिनांक 06.10.2023 द्वारा विकासखंड नारायणपुर के ग्राम परपा में सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्र में सड़क निर्माण से निम्नलिखित लाभ होंगे।

प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य से क्षेत्र के निवासियों की जिला मुख्यालय तक पहुंचना आसान होगा ग्रामवासियों को चिकित्सा शिक्षा कृषि उत्पादों का परिवहन करने में आसानी होगी साथ ही साथ समय की बचत होगी। उक्त सड़क निर्माण से ग्रामवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी प्रस्तावित सड़क निर्माण से किसानों विद्यार्थियों तथा निवासियों को आवागमन की सुविधा होगी। प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य पूरा होते ही क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

इस हेतु ग्राम परपामें भू-अधिग्रहण अधिनियम के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही चल रही है। सड़क के निर्माण से क्षेत्र में कृषि करण का विकास होगा तथा कृषि सुरक्षा मिलेगी साथ ही साथ स्थानीय आमजन वर्तमान युग के आर्थिक विकास की धारा में शामिल होकर अपने एवं परिवार के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास कर सकेंगे।

लोक निर्माण विभागद्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मूल भावना के अनुरूप सड़क निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त न्यूनतम निजी एवं शासकीय भूमि का वयन किया गया है। शासन की योजना अनुसार समस्त प्रभावित स्वातेदारों एवं उनके आश्रित परिवार के जीवन स्तर में समग्र उन्नयन को प्रभावित क्षेत्र एवं आसपास में क्रियान्वयन की रूपरेखा ही इस पुनर्वास योजना का आधार है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि भूमि की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर रखकर, सड़क निर्माण कार्य को अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकसित कर एवं भू-खण्ड का अधिकतम सीमा तक यथोचित सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सड़क निर्माण कार्य निर्माण से प्रभावित क्षेत्र की जैव-पारिस्थितिकी विशिष्टता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े अपितु बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य से यह प्रयास करेगी कि क्षेत्रीय पर्यावरण में हरितिमा को बढ़ावा मिले। लोक निर्माण विभाग बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य वचनबद्ध है कि स्थानीय जन-कल्याण के सभी कार्यों में अपने दायित्व के निर्वहन के अवसरों पर सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम सहयोग करेगी। उपर्युक्त परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व केन्द्र सरकार के

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

अध्यादेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना (Resettlement & Rehabilitation Plan) तैयार किया है। जल संसाधन बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य द्वारा पुनर्वास योजना के मुख्य बिन्दु जैसे भूमि एवं संपत्ति का मुआवजा, रोजगार विकल्प, सामुदायिक विकास कार्यों की रूप रेखा, प्रशिक्षण इत्यादि मुद्दों का गांव में छोटे-छोटे जन समूहों में चर्चा एवं ग्राम सभा परपा की बैठकों में विस्तृत चर्चा एवं सुझाव के अनुसार पुनर्वास योजना को तैयार किया गया है।

प्रस्तावित बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना निर्माण हेतु ग्राम परपा तहसील छोटेंडोंगर जिला नारायणपुर की भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सचिव छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन जल संसाधन बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य मंत्रालय रायपुर में जारी पत्र क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014 नया रायपुर के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता जल संसाधन बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के परिपेक्ष्य अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किये जाने के आधार पर उक्त वर्णित प्रावधानों के तहत जनसुनवाई दिनांक 09.10.2025 को निम्नानुसार किया गया।

सर्वप्रथम सामाजिक समाघात निर्धारण दल एवं अपेक्षक निकाय के द्वारा आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित जनों को अवगत कराया गया कि -

सड़क निर्माण परियोजना आज लोक प्रायोजन का विषय बना हुआ है अतः इसके कारण सड़क निर्माण को बल प्रदान होता है। देश की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग ग्राम परपा तहसील छोटेंडोंगर नारायणपुर जिले में सड़क का निर्माण कर रही है।

जिसे बनाने के हेतु ग्राम परपा की कुल 0.6292 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है जिसमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की आवश्यकता है। सड़क निर्माण हेतु प्रशासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किया जाना है इस कार्य के लिए सर्वप्रथम सामाजिक समाघात का आंकलन/निर्धारण किया जाना है, चूंकि इस परियोजना के लिए भूमि की जो आवश्यकता है वह न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है। इस परियोजना के निर्माण में सभी सामाजिक लागत/पहलुओं एवं फायदों का निर्धारण किया गया है।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

प्रारूप -3

**सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन
नियम -23**

1.परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी विवरण-

ग्राम-परपा

क कुल जनसंख्या	46	1, पुरुष-	27	2, महिला-	19
स्व बच्चों की संख्या	- 15	1, पुरुष-	09	2, महिला-	06
ग जातिवार जनसंख्या-	1, अनुसूचित जनजाति	44	2, अनुसूचित जाति	--	
	3, अन्य पिछड़ा वर्ग	-02	4, अन्य जाति	--	
घ धर्मवार जनसंख्या	- 1, हिन्दू-	16	2, मुस्लिम-	--	
	3, सिक्ख-	--	4, इसाई-	30	--
	5, बौद्ध-	--	6, अन्य-	--	
2-गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या-	46				
3-वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या-	00				
4-निराश्रित पेंशनरों की संख्या-	00				
5-निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या-	पुरुष- 12	महिला-	10		
6-सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन-	कीर्तन मण्डली 0	भागवत मण्डली	0		
7-प्रशासनिक संगठन -					
	सचिव	1	पटवारी	1	
	रोजगार सहायक	--	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	--	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता --
8-राजनीतिक संगठन	- बी.डी.सी., 0	सरपंच,	1	उप सरपंच	1

9-सिविल सोसाइटी एवं सामाजिक सदस्य -

10-भूमि का उपयोग-

1, कृषि भूमि -	50.410 हेक्टेयर
2, पड़त भूमि -	6.360 हेक्टेयर
3, सिंचित एक फसली भूमि-	0.00 हेक्टेयर
4, सिंचित दो फसली भूमि-	0.00 हेक्टेयर
5, असिंचित भूमि-	50.410 हेक्टेयर

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

11-जोत का आकार -

- 1, लघुकृषको कर संख्या - 09
- 2, सीमांत कृषको की संख्या - 15
- 3, कुल खातो की संख्या - 26
- 4, भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या - 00
- 5, वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार धारणा करने वाले 00
(तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये)

- 12-पशुधन -**
- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1, पशुधन की संख्या - | 102 |
| 2, दुधारु पशुधन की संख्या - | 4 |

13-प्रत्यक्ष एवं परेक्ष कार्य एवं रोजगार- कृषि मजदूरी, खेती एवं मछली पालन

14-पलायन - नहीं

15-रोजगार में महिलाओं की भागीदारी- 20 प्रतिशत

16--खाद्य सुरक्षा - खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित

17--अन्य स्थानीय रोजगार -तेन्दु पत्ता संग्रहण,
राजमिस्त्री,
दुग्ध उत्पादन उद्योग,
एवं रोजगार गारंटी आदि।

18-मजदूरी दर - 261.00

19-ऋण तथा पहुँच- नहीं

20-परिवहन एवं सड़क - नहीं

21-सिंचाई - नहीं

22-बाजार तक पहुँच- सड़क नहीं

23-पर्यटन स्थल - निरंक

24-सहकारी संस्थाएँ- निरंक

25--रहन-सहन- सामान्य

1, धारणाएँ सौंदर्यपवतता मोह एवं अभिलाषा - सामान्य ।

2, गृह- 97 प्रतिशत कच्चा एवं 03 प्रतिशत पक्का मकान

3, सामुदायिक एवं सिविल स्थान - 0

4, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल- उपलब्ध है।

5, भौतिक अव्यवस्था - उपलब्ध नहीं है।

6, लोक सेवा अव्यवस्था यथा विद्यालय, प्राथमिक शाला 0
माध्यमिक शाला 0 हाई स्कूल 0 स्वास्थ्य केन्द्र 0 आंगनवाड़ी 1
पी.डी.एस. भवन 0 पंचायत भवन 0

7, स्वास्थ्य सुविधाएँ आंगनवाड़ी लोक वितरण सिस्टम -उपलब्ध नहीं है।

8, सुरक्षा अपराध एवं हिंसा - एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से जीवन निर्वाह कर रहे हैं
और स्थानीय कानून और व्यवस्था सही है।

सामाजिक समाघात

(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढँचा और दृष्टिकोण

1- भूमि जीविका और आय पर समाघात -

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार - परियोजना के आने के बाद प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य से क्षेत्र के निवासियों की जिला मुख्यालय तक पहुंचना आसान होगा ग्रामवासियों को चिकित्सा शिक्षा कृषि उत्पादों का परिवहन करने में आसानी होगी साथ ही साथ समय की बचत होगी। उक्त सड़क निर्माण से ग्रामवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी प्रस्तावित सड़क निर्माण से किसानों विद्यार्थियों तथा निवासियों को आवागमन की सुविधा होगी। प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य पूरा होते ही क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके- इस परियोजना के आने से सामाजिक आर्थिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा

(ग) आय के स्तर - इस परियोजना के आने से आय के स्तर में बढ़ोतरी होगी। लोग तरह तरह के व्यवसायों की शुरुआत भी कर सकते हैं जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

(घ) खाद्य सुरक्षा - आय की वृद्धि होने से खाद्य सुरक्षा अपने आप बढ़ जाएगी।

(ङ) जीवन निर्वाह के स्तर - आय की वृद्धि होने से जीवन निर्वाह के स्तर अपने आप अच्छे हो जाते हैं, अतः इस परियोजना से भी यही आशा और उम्मीद किया जा सकता है।

(व) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण - आय की वृद्धि होने से लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं और जिसके लिए उनमें उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण बढ़ जाती है। इस परियोजना से भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है।

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच - परियोजना के आने से जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ जायेगी क्योंकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

2- भौतिक संसाधनों पर समाघात-

(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु जल, वन) पर समाघात - आवेदक निकास द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण के द्वारा बाधित जल प्रवाह एवं आवागमन के अवरोध के प्रभाव को कम करने हेतु पूरा प्रयास किया जावेगा। इसके अतिरिक्त इस ग्राम परपा में सड़क निर्माण से वहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे -मिट्टी , वायु जल एवं वन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव - जहां तक इस ग्राम परपा में भौतिक संसाधनों पर समाघात का प्रश्न है, जीविका के लिए वहां पर पर्याप्त भूमि है एवं वहां के सार्वजनिक संपत्तियों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर इस परियोजना से किसी प्रकार का दबाव नहीं है।

3- निजी सम्पत्तियों पर समाघात-

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता- विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा सुविधाओं में बेहतरी की संभावना बढ़ जाती है।

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता - इस परियोजना से चूंकि लोगों के आय में वृद्धि होगी जिससे गृह सुविधाओं के उपयोग करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव- स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा।

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली - परियोजना के के माध्यम से बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली विकास की संभावना बढ़ जाती है।

(ङ) निजी संपत्तियों जैसे - बोखेल , इत्यादि पर समाघात- निजी संपत्तियों जैसे - बोखेल, इत्यादि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य के द्वारा उनके मरम्मती एवं रख-रखाव का कार्य और अच्छी तरह से की जा सकती है।

4- स्वास्थ्य समाघात-

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात - इस परियोजना से महिलाओं के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात- इस परियोजना से वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5- सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात -

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण - इस परियोजना से किसी प्रकार का स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण नहीं होगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन- इस परियोजना से किसी प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं होगा

(ग) आर्थिक, पारिस्थितिकी संतुलन में परिवर्तन - इस परियोजना के आने से गांव के लोग मुआवजे की राशि प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ योग्यतानुसार परीक्षा रूप से रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं जिससे उनके आर्थिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, किन्तु पारिस्थितिकी संतुलन में इस परियोजना से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

(घ) मापदण्ड, विष्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात - इस परियोजना के आने से अलग - अलग सोच विचार के लोग एवं पढ़े -लिखे लोगो का प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़ता है, जिसका सीधा प्रभाव वहां के गरीब व कम पढ़े -लिखे लोगो पर भी पड़ता है, जैसे - उनके रहन सहन में परिवर्तन आता है, उनके सोच में परिवर्तन आता है, और सांस्कृतिक रूप से और सुदृढ़ होते हैं।

(ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप -रोजगार की कमी के कारण गांव में अपराध एवं अवैध क्रियाकलापों में वृद्धि होती है, लेकिन परियोजनाओं के आने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं जिससे जुड़कर लोग अपने मन को विभिन्न तरह के कार्यों में लगाकर आय -अर्जन कर सकते हैं। इस तरह की संभावना इस ग्राम परपामें भी व्यवत की जा सकती है।

(च) विस्थापन का तनाव-इस परियोजना से किसी प्रकार के विस्थापन के संभावना नहीं है अतः इसे विस्थापन का तनाव शून्य है।

(छ) संयुक्त परिवारों के विखंडन का समाघात- परियोजना के लिए जमीन बिक्री या भू- अर्जन के वक्त खातों का विभाजन हो जाता है, जिससे संयुक्त परिवारों में विखंडन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, किन्तु साथ-साथ उसके एवज में प्राप्त मुआवजे की राशि के सदुपयोग से उनके आर्थिक जीवन से सुधार भी आ जाती है। लोग अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा दिलाने में समर्थ हो सकते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा अपने जीविका को और भी सरल बना सकते हैं।

6- चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात -

क) पूर्व -सन्निर्माण चरण- निर्माण के पूर्व प्रस्तावित ग्राम परपामें कोई कार्य नहीं किया गया है। निर्माण अवधि कम होने एवं ग्राम परपाके संपूर्ण रकबे में से पूरक प्रकरण के अंतर्गत 0.6292 हेक्टेयर भूमि अर्जन किये जाने से सेवाओं को प्रदान कराने लाभकारी निर्देश एवं अनिश्चितता का दबाव कम से कम रहेगा।

ख) सन्निर्माण चरण- परियोजना के निर्माण में अधिकतम उन्नत किस्म की मशीनरी का उपयोग होने से कम से कम संख्या में मजदूरों का आगमन होगा। जिसके कारण प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन न्यूनतम होगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

ग) प्रवर्तन चरण- परियोजना निर्माण के बाद प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का विस्थापन होगा। परंतु स्थायी व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव कम होगा। वरन नई अधोसंरचना के निर्माण के फलस्वरूप उनके आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

घ) कार्य से घटाने वाला चरण -यह परियोजना एक स्थायी परियोजना है इसे यहां से हटाया नहीं जावेगा।

ङ) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात - परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम परपा की 0.6292 हेक्टेयर भूमि अर्जन किया जायेगा जो कि ग्राम परपा के कुल रकबे का 0.58 % है प्रत्यक्ष समाघात न्यूनतम होगा।

च) संवित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिह्नित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात) परियोजना के निर्माण से इस ग्राम परपा में विस्थापन नहीं हो रहा, 0.6292 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। अन्य परियोजना के समाघात को मिलाने पर संवित समाघात का प्रभाव उपरोक्तानुसार न्यूनतम होगा।

(ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का वितरण, जैसे- स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक परिवार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेद दर्शक समाघात और जहां लागू हो - आकलित समाघात ।

प्रस्तावित परियोजना से सम्भावित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघातों का आकलन किया गया तथा विभिन्न प्रकार के समाघातों का प्रभाव न्यूनतम पाया गया। परियोजना के क्रियान्वयन से परियोजना के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से ग्राम परपा वासियों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।

(ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है, भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।

प्रस्तावित परियोजना से इस ग्राम परपा की कुल भूमि 107.180 हेक्टेयर में से कुल 0.6292 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है जो कि कुल भूमि का 0.58 प्रतिशत है। इस अधिग्रहण से ग्राम परपा वासियों के भूमि जीविका और आय भौतिक संसाधन निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात नगण्य है। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि कृषि भूमि है, अधिग्रहण करने पर यथोचित मुआवजा दिये जाने के कारण जीविकोपार्जन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट— बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

प्रारूप-4

कार्यकारी सार-

(क) परियोजना और लोक प्रयोजन

यह आलेख ग्राम परपा विकासखंड नारायणपुर जिला नारायणपुर में प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिये ग्राम परपा में 0.6292 हेक्टेयर पर सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात मूल्यांकन प्रतिवेदन है। लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार का , एक उपक्रम है। लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार का , एक उपक्रम है। इसका वर्तमान कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में है जो सम्पूर्ण राज्य के लिये सड़क निर्माण कार्यकरता है

लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ .17-171/2022/19 / तक. 2 नया रायपुर दिनांक 06.10.2023 द्वारा विकासखंड नारायणपुर के ग्राम परपा में सड़क निर्माण निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई

क्षेत्र में सड़क निर्माण यह अत्यंत उपयोगी साबित होगा सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु आयोजित जनसुनवाई ग्राम परपा में दिनांक 09.10.2025 समय सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक आयोजित की गई

(ग) भूमि अर्जन का आधार और विषेषता

ग्राम परपा	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	विषेषता
ग्राम परपा	1	0.132	सड़क निर्माण प्रयोजन हेतु प्रस्तावित
	5	0.0836	
	46	0.0269	
	45	0.0726	
	30	0.0836	
	43	0.0110	
	44	0.0594	
	42/1	0.0726	
	40	0.0440	
	29	0.1087	
	10	0.6292 हेक्टेयर	

भूमि अर्जन सूची संलग्न है। (संलग्नक-1)

(१) इस परियोजना में लोक निर्माण विभाग के सर्वे शर्तों के अनुसार न्यूनतम भूमि का अर्जन प्रस्तावित है। परियोजना का मानचित्र संलग्न है। (संलग्नक-2)

(२) इस परियोजना में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या शून्य है।

(३) इस परियोजना में किसी भी प्रकार की सरकारी भवन, नहर, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, देवस्थल आदि प्रभावित नहीं हो पा रही है। सड़क निर्माण परियोजना का संपूर्ण का व्यौरा संलग्न है। (संलग्नक-3)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

(घ) अनुकल्पों पर विचार

चूंकि इस ग्राम परपा में भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य शासन द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है, इस ग्राम परपा में सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। दूसरे विकल्प के तौर पर अगल-बगल में केवल निजी भूमि ही उपलब्ध है। साथ ही यह न्यूनतम अधिग्रहण क्षेत्र है।

(ङ) सामाजिक समाघात

ग्राम परपा क्रमांक 6 पर उल्लेखित है।

(च) कमी करने का उपाय

सीमित विकल्पों के बावजूद इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण किया जाये और परियोजना क्षेत्र का रेखांकन इसी नीति के अनुसार किया गया है। भूमि एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है अतः अपव्यय रोकने हेतु भूमि की आवश्यकता को यथासंभव लोक निर्माण विभाग के मापदण्ड के अनुरूप रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम परपा की आबादी भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है।

(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण परियोजना प्रस्तावित प्रकल्प नुकसान होने से बचाएगा परियोजना के स्थापित होने पर क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही परीक्षा/अपरीक्षा रूप में रोजगार की अवसरों की भी उपलब्धता होगी। स्थानीय लोगों को लाभ देगा।

परियोजना के विवरण का ब्यौरा:-

(क) परियोजना की पृष्ठभूमि जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित।

जल संसाधन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मूल भावना के अनुरूप बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक माग सड़क निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त न्यूनतम निजी एवं शासकीय भूमि का चयन किया गया है। शासन की योजना अनुसार समस्त प्रभावित खातेदारों एवं उनके आश्रित परिवार के जीवन स्तर में समग्र उन्नयन को प्रभावित क्षेत्र एवं आसपास में क्रियान्वयन की रूपरेखा ही इस पुनर्वास योजना का आधार है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि भूमि की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर रखकर, सड़क निर्माण को अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकसित कर एवं भू-खण्ड का अधिकतम सीमा तक यथोचित सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सड़क निर्माण से प्रभावित क्षेत्र की जैव-पारिस्थितिकी विशिष्टता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े अपितु लोक निर्माण विभाग यह प्रयास करेगी कि क्षेत्रीय पर्यावरण में हरितिमा को बढ़ावा मिले।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

लोक निर्माण विभाग बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि स्थानीय जन-कल्याण के सभी कार्यों में अपने दायित्व के निर्वहन के अवसरों पर सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम सहयोग करेगी। उपर्युक्त परिस्थितियों के परिपेक्ष्य लोक निर्माण विभाग, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व केन्द्र सरकार के अध्यादेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना (Resettlement & Rehabilitation Plan) तैयार किया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्वास योजना के मुख्य बिन्दु जैसे भूमि एवं संपत्ति का मुआवजा, रोजगार विकल्प, सामुदायिक विकास कार्यों की रूप रेखा, प्रशिक्षण इत्यादि मुद्दों का गांव में छोटे-छोटे जन समूहों में चर्चा एवं ग्राम परपा सभा की बैठकों में विस्तृत चर्चा एवं सुझाव के अनुसार पुनर्वास योजना को तैयार किया गया है।

(ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता आधारित अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह का लोक परियोजना के उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित।

परियोजना का मूल आधार परपा सड़क निर्माण है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ है। इस परियोजना परपा सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता अपरिहार्य है। जहां परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है वहां विस्थापन की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। किन्तु बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग सड़क निर्माण परियोजना से ग्राम परपा में कोई विस्थापन नहीं किया जावेगा। परियोजनाएं जहां स्थापित होती हैं वहां के आस-पास के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इस परियोजना से भी लोगों के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे जो विकासशील होंगे। यदि हम लाभ की बात करें तो इससे भू-स्वामियों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित उचित दर पर भूमि का मुआवजा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दूसरे आय-अर्जन व्यवसाय से जुड़ कर आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। परियोजना से भू-अर्जन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 2013 के तहत प्रभावित परिवार को लाभ मिलेगा। जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके अलावा गांव एवं आस-पास के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं पर कार्य कराये जावेंगे तथा गांव के युवा वर्ग/बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर आय-अर्जन गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। क्षेत्रवासियों के निश्चित ही आय में वृद्धि होने पर उनके व्यय करने की क्षमता में वृद्धि होगी जिससे वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

इस प्रकार यह परियोजना लोक परियोजना की श्रेणी में है जो उपयुक्त है।

(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन, लक्ष्य लागत जोखिम का ब्योरा परियोजना का आकार - परपा सड़क निर्माण (0.6292 हेक्टेयर)

नारायणपुर जिले के तहसील नारायणपुर में ग्राम परपा में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क की क्षमता लगभग 12 टन है। इस परियोजना की लागत मूल्य लगभग 3334.00 लाख रुपये है। प्रस्तावित परियोजना में सड़क निर्माण कार्य किया जावेगा। सड़क निर्माण से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा ध्यान रखा जायेगा

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

(घ) अनुकल्पों की परीक्षा:-

सड़क निर्माण के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के मापदंडों के तहत विभिन्न अनुकल्पों पर विचार किया गया एवं प्रस्तुत विकल्प सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अंतिम रूप दिया गया।

(ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं:-

सड़क का निर्माण भूमि अर्जन कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत एक ही चरण में पूर्ण किया जायेगा।

(च) मूल डिजाइन की विषष्टियां और सुविधाओं का आधार एवं प्रकार:-

लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त किया गया है, अनुमोदित प्रत्र की छाया प्रति संलग्न है (संलग्नक-4)

(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता :-

चूंकि सड़क निर्माण से संबंधित किसी सहायक उद्योग का निर्माण नहीं किया जायेगा अतः सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। अपितु सड़क निर्माण में आधारभूत संरचनाओं को ध्यान रखा जाना उचित होगा।

(ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थायी एवं स्थायी):-

अनुरेखीय अधिग्रहण की परियोजना होने के कारण खातेदारों से केवल भूमि के छोटे क्षेत्र से ही अधिग्रहण किये जा रहे हैं इसके बावजूद अपेक्षित निकाय मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर अधिग्रहण करेगा और विभिन्न नीतियों में उल्लेखित और उसमें भी अधिक उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। चूंकि परियोजना एक स्थायी उत्पादन इकाई नहीं है, सड़क निर्माण के पश्चात प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है, तथापि निर्माण के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों किंतु न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं पर मजदूर स्तर या अकुशल श्रमिक स्तर पर केवल निर्माण कार्य के दौरान यथा अपेक्षित निर्माण एजेंसी के माध्यम से उन्हें कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा जो कार्य करने में सक्षम है और इच्छुक भी है केवल अनुरक्षण के लिए परिसंपत्तियों के प्रचालन के दौरान कुशल श्रेणियों में केवल कुछ ही रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। अनुरक्षण/प्रचालन एजेंसी द्वारा भर्ती के समय उपलब्ध कौशलों के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि को खोने वाले को वरियता प्रदान की जायेगी।

(झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट :-

लोक निर्माण विभाग को राज्य सरकार से सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है प्राप्त स्वीकृति में दर्शाये गये विभिन्न शर्तों एवं आवश्यकताओं को लागू किया जायेगा। इसमें प्रमुख रूप से पर्यावरण को होने वाली नुकसानों से बचाया जा सके।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट— बड़गांव—धुरबेड़ा—ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

(ग) लागू किए गए विधान एवं नीतियां:-

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना निम्नांकित अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के पूर्ति हेतु किया गया है।

- (1) भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013
- (2) भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संशोधन अध्यादेश 2014
- (3) भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संशोधन अध्यादेश 2015
- (4) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2015
- (5) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम द्वितीय विधेयक 2015
- (6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विकास योजना) नियम, 2015
- (7) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2014
- (8) अधिनियम के प्रारम्भ के राजपत्र अधिसूचना
- (9) अनुच्छेद 2(प)(इ)(प) में उद्धृत किए अनुसार अवसरचना अनुभाग, आर्थिक कार्य जल संसाधन बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा सड़क निर्माण कार्य, वित्त मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना।
- (10) Environment Protection Act, 1986

दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

कार्यालय कलेक्टर नारायणपुर छग. शासन के आदेश क्रमांक/1416/अ.पि.अ.(रा) /प्रवाचक नारायणपुर दिनांक 19/06/2025 के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों का दल भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु गठित की गई है:-

(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सूची, दल लिंग विषयज्ञों सहित

(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सूची, दल लिंग विषयज्ञों सहित

- | | |
|------------------------------------|---|
| (क) गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक - | 1. श्री दीपक सोनी ग्रूथ वेलफेयर सोसाइटी रायगढ़ |
| (ख) स्थानीय निकायों के प्रतिनिधी - | 1. सरपंच ग्राम पंचायत आतरगांव तहसील छोटेंडोंगर जिला नारायणपुर |
| | 2. उपसरपंच ग्राम पंचायत आतरगांव तहसील छोटेंडोंगर जिला नारायणपुर |
| (ग) पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ - | 1. श्री सदाराम ठाकुर सेवा निवृत्त डिप्टी कलेक्टर , |

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

- (घ) परियोजना से संबंधित विषय का विशेषज्ञ - श्री बलराम सिंह नायक, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग भ स नारायणपुर
- (ङ) प्रभावित क्षेत्र का तहसील - श्री सौरभ चौरसिया तहसीलदार नारायणपुर

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिए प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलधार तथा साधन

1. **प्रारंभिक आंकड़े** - प्रारंभिक आंकड़े को सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण एवं अपनी ही उपयोगिता है इससे हमें प्रथम दृष्टि में जो कुछ भी दिखाई साक्षात देखने को मिलता है अथवा लोगों के जानकारी द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रारंभिक आंकड़े कहा जाता है इस तरीके का उपयोग सर्वेक्षण कर्ता खुद अपने आप उस खास जगह पर जाकर करता है जिसका उपयोग प्रयोजन हेतु करना है। ये आंकड़े लोगों से बात - चीत कर तथा देखकर जुटाये जाते हैं।
2. **द्वितीयक आंकड़े** - दूसरों के द्वारा सर्वेक्षित किये गये आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जिसका प्रयोग सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु किया जाता है। यह किताब के रूप में पत्रिका के रूप में या शासन के रिकार्ड, सैसस रिपोर्ट के रिकार्ड के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
3. **सामाजिक मानचित्र** - सामाजिक मानचित्र, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये एक उचित उपयुक्त साधन हो सकता है, जिसमें हम एक मानचित्र के सहारे सम्पूर्ण गांव के घरों, सुविधाओं जैसे - मंदिर, स्टोर, स्कूल, अस्पताल, रोड़ सड़क, पेयजल सुविधाएं सिंचाई एवं मनोरंजन के स्थानों का अवलोकन कर सकते हैं यह मानचित्र घरों की स्थिति तथा उसके सही जगह और गांव में अन्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। जो कि हमें किसी प्रयोजन हेतु प्लान में लागू करने, उसकी देखरेख करने तथा समाघात करने में सहायता प्रदान करती है। मानचित्र संलग्न है।
4. **संसाधन मानचित्र** - सामाजिक मानचित्र से गांव के समुदाय एवं संसाधनों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ज्ञात हुई मुख्यतः एक फसली कृषि आधारित क्षेत्र है
 - सामाजिक मानचित्र (संलग्न है) संलग्नक-5
 - संसाधन मानचित्र (संलग्न है) संलग्नक-6
 - प्रारंभिक आंकड़े-प्रारंभिक आंकड़े इकठ्ठा करने हेतु ग्राम परपा का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के द्वारा निम्न आंकड़े इकठ्ठा किये गये।

(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग

सामाजिक समाघात निर्धारण की जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन तथा भू अर्जन /पूरक भू अर्जन हेतु सहमती की संख्या

प्राप्त आवेदन का विवरण - संलग्न है

सहमति संख्या -

असहमति - निरंक

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

भू- अर्जन की प्रक्रिया सामाजिक समाघात निर्धारण के पूर्व प्रावधानों के तहत किया गया था जिसमें ग्राम परपा में ग्राम सभा हुआ था उसमें सहमति के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे।

साथ ही प्राप्त कृषकों से पृथक -पृथक सहमति प्राप्त की गई । यह कि उपरोक्त कार्यवाही दस्तावेजों प्रमाण के रूप में मौजूद है, अतः उक्त दस्तावेज को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता । सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुक्रम में पर्याप्त सहमति मान्य की जाती है।

प्राप्त सुझाव आवेदन का निराकरण - संलग्न है।

गांव के प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण जन सुनवाई के समय किया गया है, चर्चा पूर्ण की गई है।

(घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें।

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण-

कुल	पुरुष	महिला	कुल
कुल	22	19	46
बच्चों की संख्या	09	06	15

जातिवार जनसंख्या	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य
	44	-	02	-

धर्मवार जनसंख्या	हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	इसाई	अन्य
	16	-	-	30	-

शैक्षणिक परिदृश्य -शिक्षा किसी भी गांव या समाज के विकास की पूंजी होती है। यह विकास एवं उत्थान की दिशा को निर्देशित करती है जब कि कहीं-कहीं पर लोगो के बीच (शिक्षित व अशिक्षित के बीच) नये तरह का अंतर भी पैदा करती है इन सबके बीच, किसी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में यह एक मूल जरूरत और एक अच्छा सूचक भी है।

2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन- किर्तन मण्डली-..., भागवत मण्डली

3. प्रबानिक संगठन- सचिव -1

पटवारी-1

रेजगार सहायक---

स्वास्थ्य कार्यकर्ता---

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता- --

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

4. राजीतिक संगठन - बी.डी.सी., सरपंच, उप सरपंच
5. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य - हैं
6. पशुधन

पशुधन की संख्या	दुधारु पशुधन की संख्या
102	04

7. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार.- मुख्यतः कृषि एवं मजदूरी पर आधारित है।
8. पलायन - नहीं
9. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी - 20 प्रतिशत
10. खाद्य सुरक्षा - खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित
11. अन्य स्थानीय रोजगार- तैन्दुपत्ता संग्रहण, राजमिस्त्री, दुग्ध उत्पादन, रोजगार गारंटी आदि।
12. मजदूरी दर - 261/- प्रति दिन
13. ऋण तथा पहुंच -
14. परिवहन एवं सड़क - नहीं
 - कांक्रिटींग एवं पक्की सड़क - बाजार तक पहुंच, पक्की सड़क नहीं
 - बस सुविधा - नहीं
 - रेलवे सुविधा- निरंक
 - हवाई सुविधा - निरंक
 - एम्बुलेंस सुविधा -108 एवं 102
15. सिंचाई - नलकूप, कुआँ, नाला आदि
16. बाजार तक पहुंच- कांक्रिटींग एवं पक्की सड़क,
17. पर्यटन स्थल -निरंक
18. सहकारी संस्थाएं - निरंक
19. रहन-सहन - सामान्य
20. इस ग्राम परपा में लगभग 80 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। उनमें बदलाव की संभावनाएं बहुत धीमें गति से होती है, किन्तु आस - पास के गांवों के प्रभाव तथा कई परियोजनाओं के आस - पास में आने के कारण उनमें भी बदलाव आया है, और धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है, और वो भी अब यही चाहते हैं कि उनका गांव का यथासंभव विकास हो।
21. गृह - करीब 97 प्रतिशत घर मिट्टी के बनें हैं उनके छत में खपड़े डाले गए हैं, बाकी लगभग 03 प्रतिशत घरों का निर्माण ईट एवं ढलाई (पक्के घर) से बने हैं।
22. सामुदायिक एवं सिविल संस्थान - सामुदायिक भवन उपलब्ध है / नहीं है।
23. धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल- धार्मिक स्थल है।
24. भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज, सिस्टम इत्यादि) -निरंक
25. लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगड़बाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि) - इस ग्राम परपा में बासकीय प्राथमिक शाला उप-स्वास्थ्य केन्द्र है इनके अलावा आंगनबाड़ी अवस्थित है।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

26. सुरक्षा अपवाद एवं हिंसा- गांव में किसी तरह की सुरक्षा संबंधित समस्या नहीं है, वहां की आपसी सद्भावना बनी हुई है और लोग एक - दूसरे के साथ प्रेम भाव से जीवन निर्वाह कर रहे हैं और स्थानीय कानून और व्यवस्था सही है।

• द्वितीयक आंकड़े

विभिन्न राजस्व अभिलेखों के सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी निम्नलिखित है।

1. भूमि का उपयोग -

कृषि भूमि	पड़त भूमि	सिंचित एक फसली भूमि	सिंचित दुफसली भूमि	असिंचित भूमि
50.410 हेक्टेयर	06.360 हेक्टेयर	-- हेक्टेयर	-- हेक्टेयर	50.410 हेक्टेयर

2. ज़ोत का आकार

लघु कृषकों की संख्या	सीमांत कृषकों की संख्या	कुल खातों की संख्या	भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या	वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाए)
09	15	26	00	00

(ड) प्रमुख पदाधिकारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निविष न को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिए)

लोक निर्माण विभाग एवं स्थानीय राजस्व द्वारा समय - समय पर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामिणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इन बैठकों का विवरण संलग्न है। इस ग्राम परपा में सड़क निर्माण के सहमति हेतु ग्राम परपा में ग्राम सभा बैठक दिनांक 13.09.2025 को आयोजित की गई तथा परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी ग्राम परपा वासियों को प्रदान की गई। ग्राम परपा में आयोजित की गई सामाजिक समाघात निर्धारण, तथा जन सुनवाई दिनांक 09.10.2025 को ग्राम परपा पंचायत भवन आतरगांव में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की गई जिसकी सूचना समस्त ग्राम परपा वासीयों को मुनादी, पंचायत भवन में सूचना पत्र को चस्पा किया गया एवं सरपंच को सूचना पत्र उपलब्ध कराते हुए वृहद् प्रचार प्रसार हेतु दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। (संलग्नक-६)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट— बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

भूमि अवधारणा

(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत - नक्शों की सहायता से वर्णन करें।

प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिये अर्जित की जा रही भूमि का विवरण एवं नक्शा संलग्न है।

(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक)

प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना के प्रभाव के अधीन संघटन क्षेत्र कुल 0.6292 हेक्टेयर है।

(ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रभावित ग्राम परपाकी कुल 0.6292 हेक्टेयर भूमि अर्जन किया जा रहा है, जिसमें से 0.6292 हेक्टेयर भूमि अर्जन किया जा चुका है।

(घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस - पास है का

प्रयोग इस परिधि की भूमि परियोजना में नहीं है।

(ङ) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई अन्य संक्रमित पट्टे पर या अर्जित है और

परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आषयित उपयोग

प्रस्तावित परियोजना के लिये पूर्व में है। 0.6292 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई है।

(च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान

परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण 0.6292 हेक्टेयर है जो कि ग्राम परपा- तहसील छोटेंडोंगर नारायणपुर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है।

(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो, तो सिंचाई क्षेत्र

और फसल क्रम

प्रस्तावित परपा सड़क निर्माण से इस ग्राम परपा की प्रभावित भूमि, कृषि योग्य असिंचित भूमि है। और जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य में होता है।

मुख्य फसल क्रम -धान, उड़द इत्यादि

(ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सड़कों की संख्या

प्रस्तावित ग्राम परपा में कुल खातेदारों की संख्या 26 है, उनमें से लघु कृषक 09-सीमांत कृषक 15 है, वन पट्टाधारी व्यक्तियों की संख्या -- एवं भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या -- है।

(झ) भूमि कीमत और स्वामित्व में परिवर्तन, पिछले 3 वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग

इस ग्राम परपा में परियोजना हेतु प्रस्तावित जमीन की कीमत भू- अर्जन अधिनियम 2013 के तहत शासन के द्वारा निर्धारित की जायेगी। तदनुसार प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि प्रदाय किया जायेगा।

विवरण संलग्न है।

प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहां अपेक्षित हो) का प्रावकलन और प्रगणन

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है)

1. किरायेदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है। सभी प्रभावित कृषकों का विवरण संलग्न है।
2. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है। सम्बंधित नहीं है।
3. सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी। कुल 10 खातेदार/भूमि स्वामी प्रभावित है, इन सभी का भूमि अर्जन से जीविकोपार्जन प्रभावित नहीं हो रहा है।
4. समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के भूमि सौंपी गई है, और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है। निरंक
5. भूमि अर्जन के पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे समय से रह रहे हैं। निरंक
6. अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है। कृषि कार्य किया जाता है।

(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है)
निरंक

(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका
कृषि के अतिरिक्त और कोई उत्पादन नहीं रहने के कारण आवश्यक नहीं है।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)

(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का सांख्यिकी ब्यौर

	पुरुष	महिला	कुल
कुल जनसंख्या	27	19	46
बच्चों की संख्या	9	6	15

जातिवार जनसंख्या	अ.अ.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य
	44	--	02	--

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

धर्मवार	हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	इसाई	अन्य
जनसंख्या	16	--	--	30	--

(ख) आय एवं गरीबी स्तर

ग्राम परपा में 46 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं

1. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या - --
2. निराश्रित पेंशनरों की संख्या - --
3. निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या - पुरुष 12 महिला :- 10

(ग) दुर्बल समूह

दुर्बल समूह नहीं है।

(घ) भूमि उपयोग और जीविका

भूमि उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है। जीविका कृषि एवं मजदूरी पर आधारित है।

1. व्यवसाय के प्रकार - इस ग्राम परपा में व्यवसाय के विभिन्न प्रकारों तथा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया ताकि उसके आधार पर आय अर्जन गतिविधियों का सृजन तथा प्लान किया जा सके जो कि अतिरिक्त एवं वैकल्पिक आय- अर्जन गतिविधि सिद्ध हो सके । दूसरा कि व्यवसाय के प्रकार की जानकारी से उस क्षेत्र की मूल आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी हासिल हो सके । सर्वे के अनुसार परियोजना से प्रभावित कुल परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है।

(ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

कृषि एवं मजदूरी है। इसके अलावा ग्रामिणों द्वारा तैदुपत्ता का भी संग्रहण किया जाता है।

1. आर्थिक स्थिति - इस ग्राम परपामें लगभग 80 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। उनमें बदलाव की संभावनाएं बहुत धीमें गति से होती है, किन्तु आस - पास के गांवों के प्रभाव तथा कई परियोजनाओं के आस - पास में आने के कारण उनमें भी बदलाव आया है, और धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है और वो भी अब यही चाहते हैं कि उनका गांव का यथासंभव विकास हो। सर्वेक्षण के नतीजों से जानकारी मिली की करीब 97 प्रतिशत घर मिट्टी के बने हैं उनके छत में स्क्वयर डाले गए हैं बाकी लगभग 03 प्रतिशत घरों का निर्माण ईंट एवं ब्लाई (पक्के घर)के बने हैं। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार मुख्यतः कृषि एवं मजदूरी पर आधारित है। इसके अलावा ग्रामिणों द्वारा तैदुपत्ता का भी संग्रहण किया जाता है। इस ग्राम परपा में 46 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या -- एवं निराश्रित पेंशनरों की संख्या --- है। गांव के लोग विभिन्न रोजगार जैसे कृषि, मजदूरी एवं तैदुपत्ता संग्रहण जैसे अर्थिक गतिविधियों में लिप्त हैं।

(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान

कृषि एवं मजदूरी है, भूमि अधिग्रहण उपरांत प्रावधानों के तहत संस्थान अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

निरंक

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

(ज) प्रशासनिक संगठन

है।

(झ) राजनैतिक संगठन

पंजीकृत राजनैतिक संगठन नहीं है।

(ञ) समुदाय - आधारित और सिविल सोसायटी संगठन

नहीं है।

(ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

परियोजना से प्रभावित ग्राम परपामें किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। किन्तु सामाजिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन हुआ है। जैसे कि ग्राम परपा में स्कूल भवन और सामुदायिक भवन, उपस्वास्थ्य केन्द्र, तथा कच्ची रोड़ के माध्यम से नारायणपुर मुख्यालय से संपर्क में है। इस ग्राम परपा में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि इन्टरनेट, बिजली इत्यादि सुविधाओं से युक्त है।

(ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

पर्यावरण की गुणवत्ता जैसे पानी, हवा एवं मृदा की स्थिति सामान्य है। ग्राम परपा के कुछ भाग में वन एवं वृक्षों की संख्या अत्यधिक है।

लागतों एवं फायदों का विच्छेदन और अर्जन पर सिफारिशें

(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, श्रमण के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक जहां के श्रमण के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या समाधान, के बारे में अंतिम निष्कर्ष।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ के तहत प्रष्नाधीन अर्जन शासन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा में सड़क निर्माण कार्य को दिया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से लोक हित बाबत है। यह सड़क निर्माण हेतु आवश्यक भूमि ही लिया जाना है, प्रभावितों को पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। जनसुनवाई में सुनवाई पूर्ण की गई है उपस्थित कृषकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

(ख) उपरोक्त विच्छेदन नियम में वर्णित साम्य सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विच्छेदन की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।

उपरोक्त विच्छेदन के आधार पर भूमि का अर्जन किया जाना लाभदायक है एवं लोक हित में वांछित है।

सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

१. कमी करने पर दृष्टिकोण :-

यह परियोजना अनु रेखीय अधिग्रहण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है, जिसमें भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाता है। प्रस्तावित ग्राम परपा के भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार का पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं है। इस तरह सामाजिक समाघात का प्रभाव न्यूनतम रखा गया है।

२. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय:-

परियोजना से प्रभावित ग्राम परपा एवं आस पास के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कुटीर उद्योग के स्थापन हेतु इच्छुक व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रावधान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए स्वा सहायता समूह का गठन किया जावेगा, जिसमें कि महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके।

३. उपाय, जो अधिनियम में तथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित है:-

अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित क. ग. शासन द्वारा निर्देशित सभी उपायों का समावेश सम्बन्धित निकाय द्वारा किया जावेगा।

४. उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह परियोजना के प्रस्ताव में पुनःस्थापन करने:-

पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए अपेक्षित निकाय द्वारा वृक्षारोपण का प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट का निर्माण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम परपा सड़क निर्माण से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक प्रावधान किया जावेगा।

५. अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने के लिए बचनबद्ध होगा:-

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई से प्राप्त निष्कर्षों का पालन आवेदक निकाय द्वारा किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु आयोजित जनसुनवाई के निम्नलिखित समस्याएँ प्राप्त हुईं। समस्याएँ एवं उनका निराकरण निम्नानुसार है।

बैठक की कार्यवाही दिन में 10 बजे शुरू की गई इस बैठक में प्रभावित स्वामेदारों एवं सामाजिक समाघात निर्धारण के विशेषज्ञों के अलावा लोक निर्माण विभाग से अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा ग्राम परपा सड़क निर्माण परियोजना का वर्णन विस्तारपूर्वक करते हुए मुआवजा निर्धारण करने के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात ग्राम परपा वासियों से अपने विचार इस परियोजना हेतु रखने का अनुरोध किया गया।

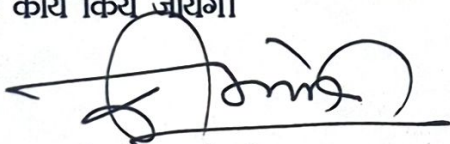
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट- बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम परपा पंचायत आतरगांव

सभा के सभापती ने ग्रामिणों से कहा कि सामाजिक समाघात हेतु जन सुनवाई रखा गया है जिसमें आपकी समस्या को सुना गया आप लोग समस्त ग्राम ग्राम परपा से अनुरोध है कि आप लोग भी लोक निर्माण विभाग के कार्य में सहयोग दे इतना कहकर सभा की समाप्ती की।

६. सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक शमन निवारण के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय-सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए:-

आवेदक निकाय द्वारा प्रभावित ग्राम का बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए स्थानीय प्रशासन के अनुमोदन के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

इसके अलावा प्रभावित ग्राम परपा में ग्राम के समूहिक विकास के लिए स्थानीय प्रशासन के अनुमोदन के अनुसार कार्य किये जायेंगे।



श्री दीपक सोनी
यूथ वेलफेयर सोसाइटी रायगढ़
(गैरशासकीय सामाजिक वैज्ञानिक)



श्री सदाराम ठाकुर
सेवा निवृत्त डिप्टी कलेक्टर



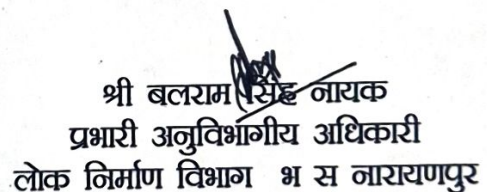
सरपंच
ग्राम पंचायत आतरगांव
जनपद पंचायत-नारायणपुर
ग्राम पंचायत आतरगांव



उपसरपंच
ग्राम पंचायत आतरगांव
जनपद पंचायत-नारायणपुर
ग्राम पंचायत आतरगांव



तहसीलदार नारायणपुर



श्री बलराम सिंह नायक
प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग भ स नारायणपुर



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी
नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252222

E-MailID – sdmnarayanpur@gmail.com

:- पत्र :-

क्रमोंक/579 / अ0वि0अ0(रा0)/प्रवाचक-1/2026
प्रति,

नारायणपुर दिनांक 06/02/2026

प्रभारी अधिकारी
भू - अभिलेख शाखा
जिला - नारायणपुर

विषय:- विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन कर प्राप्त रिपोर्ट का प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.) के आदेश राजस्व आदेश पत्र दिनांक 04.12.2025 द्वारा नारायणपुर जिला अंतर्गत बड़गांव /धूरबेड़ा /ताड़ोनार जिला मुख्यालय सड़क लम्बाई 21.00 कि.मी. निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह द्वारा ग्राम परपा ग्राम पंचायत आतरगांव का समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

अतएव प्राप्त रिपोर्ट को यथा स्थिति शासन की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु पत्र आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- मूल्यांकन रिपोर्ट।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं
भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर

पु.क्रमोंक/580 / अ0वि0अ0(रा0)/प्रवाचक-1/2026
प्रतिलिपि :-

नारायणपुर दिनांक 06/02/2026

कलेक्टर (भू -अर्जन शाखा) जिला नारायणपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं
भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर

ग्राम- परपा तहसील -नारायणपुर , जिला - नारायणपुर के निजी भूमि अर्जन हेतु विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 07-01-2026 का मूल्यांकन प्रतिवेदन

अनुविभागीय अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर के आदेश क्रमांक 3078 / अ.वि.अ. (रा) / प्रवाचक 1/2025 नारायणपुर दिनांक 05.12.2025 के द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति एवं जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत ग्राम परपा, तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर के निजी भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व में गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है , जिसके अनुसरण में ग्राम परपा के सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन हेतु बैठक आहूत की गयी जिसके पालन में आज दिनांक 07-01-2026 को स्थान सभाकक्ष अनुविभागीय अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर में विशेषज्ञ समूह के नामांकित सभी सदस्य उपस्थित रहे

ग्राम परपा तहसील नारायणपुर जिला नारायणपुर के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेखों आदि के परीक्षण उपरांत मूल्यांकन प्रतिवेदन निम्नानुसार है

ग्राम परपा तहसील नारायणपुर जिला नारायणपुर की निजी भूमि कुल रकबा 0.6292 हेक्टेयर अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है जिसमें सड़क का निर्माण किया जाना है

ग्राम परपा तहसील नारायणपुर जिला नारायणपुर के अंतर्गत आता है अतः इसमें PESA (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996) के प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत ग्राम सभा की सहमती आवश्यक होती है परपा पंचायत की बैठक दिनांक 13.09.2025 को आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गयी तथा जन सुनवाई दिनांक 09-10-2025 को ग्राम परपा पंचायत भवन ग्राम परपा में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई प्रस्तावित भू अधिग्रहण हेतु बहुमत से सहमती प्रदान की गयी है जो की पृथक से संलग्न है

प्रस्तावित भू अर्जन में प्रभावित होने वाले कृषकों से सहमती प्राप्त की गयी है 75 प्रतिशत से अधिक कृषकों द्वारा अपनी सहमती लिखित पत्रक पर दी गयी है निर्धारित पत्रक पृथक से संलग्न है

प्रकरण में ग्राम के कुल रकबा 0.6292 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है जिसमें कुल 07 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं समस्त कृषक अनुसूचित जनजाति के हैं जिसका कुल रकबा 0.6292 हेक्टेयर है

प्रस्तावित अधिग्रहण में एक खातेदार का अधिकतम रकबा 0.1320 हेक्टेयर है एवं न्यूनतम रकबा 0.0110 हेक्टेयर है स्पष्ट है की किसी भी कृषक की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि इतनी अधिक नहीं है की उसके जीविकोपार्जन पर परियोजना का विपरीत प्रभाव पड़े प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का कोई भवन/शेड आदि नहीं है कोई भी शासकीय/सार्वजनिक भवन संरचना प्रभावित नहीं होगी

प्रस्तावित अधिग्रहण में प्रभावितों से अर्जन की जा रही कुल भूमि का रकबा दर्शाने वाला पत्रक संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है की कृषकों से बहुत कम भूमि ली जा रही है -

ग्राम परपा	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	विशेषता
ग्राम परपा	1	0.1320	सड़क निर्माण प्रयोजन हेतु प्रस्तावित
	5	0.0836	
	46	0.0264	
	45	0.0726	
	30	0.0836	
	43	0.0110	
	44	0.0594	
	42/1	0.0726	
	40	0.0440	
	29	0.0440	
	10	0.6292	
		हेक्टेयर	

प्रस्तावित अधिग्रहण सड़क सम्बन्धी है जिसका स्वरूप रेखीय है (LINEAR) है ऐसे प्रकरणों में भूमि का रकबा कम होता है तथा प्रभावितों की संख्या अधिक होती है

उद्देश्य - प्रस्तावित भू अर्जन कर सड़क का निर्माण होगा जिससे क्षेत्र में आम लोगों के जीवन और समाज के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा क्षेत्र में यातायात सुगम होगा ,सड़क बनने से लोगों का आवागमन आसान और तेज हो जाएगा । किसान अपनी उपज आसानी से बाजार तक पहुँचा सकेंगे जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी । व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच सुगम होगी । इससे समय और ईंधन की बचत होगी और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे साथ ही आपातकालीन मदद पहुँचाना सरल होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी कुल मिलाकर, सड़कें किसी भी देश या क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ और विकास की धुरी मानी जाती हैं।आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा जन सामान्य की सुविधाओं में वृद्धि होगी इस प्रकार प्रस्तावित अधिग्रहण सद्भाविक एवं लोक अभियोजन की पूर्ति हेतु आवश्यक है

यह योजना लोक निर्माण विभाग की है जो की शासन का उपक्रम है एवं अधोसंरचना / सड़क निर्माण का कार्य करता है

सड़क यातायात की सुविधा पूर्व से बेहतर होगी ग्राम वासियों को बाजार/जिला मुख्यालय/राजधानी तक पहुँच सुगम हो जाएगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी ग्राम वासियों का सामाजिक शैक्षणिक स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा जन सामान्य की सुविधाओं में वृद्धि होगी ग्राम वासियों को परिवहन व्यापार कृषि तथा रोजगार के कार्यों हेतु सुविधा प्राप्त हो सकेगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियाँ सुदृढ़ होंगी ।

विशेषज्ञ समूह की बैठक ग्राम- परपा

ग्राम वासियों को परिवहन व्यापार कृषि तथा रोजगार के कार्यों हेतु सुविधा प्राप्त हो सकेगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियाँ सुदृढ होंगी

प्रस्तावित भू अर्जन में प्रभावितों की भूमि बहुत कम अधिग्रहित की जा रही है उन पर परियोजना का विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके लिए कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है फल स्वरूप इस योजना से होने वाले लाभ हानि की तुलना में अधिक है ये अधिग्रहण सद्भाविक एवं लोक अभियोजन की पूर्ति हेतु आवश्यक है प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकार एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति दी जा रही है विभाग ने बतलाया की उनके पास पूर्व से अर्जित की गयी कोई भी अनुपयोगी भूमि नहीं है

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ समूह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है की प्रस्तावित भू अर्जन लोक प्रायोजन हेतु आवश्यक है अर्जन से लाभ अधिक एवं हानि नगण्य है न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जो आवश्यक है प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकार एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षति पूर्ति दी जावेगी

अतः विशेषज्ञ समूह प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा करता है



श्री अशोक कुमार अग्रवाल
अतिरिक्त कलेक्टर से. नि.
पुनर्व्यस्थापन विशेषज्ञ



श्री एच आर वैश्य
संयुक्त कलेक्टर से. नि.
पुनर्व्यस्थापन विशेषज्ञ



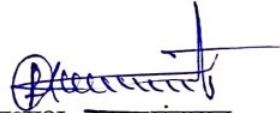
श्रीमती ऐश्वर्या डब्राल
गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक



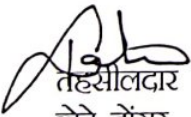
डा मुकेश गोस्वामी
गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक



अध्यक्ष-अध्यक्ष पंचायत
पिंकी नरेंद्री
जनपद पंचायत नारायणपुर



उपाध्यक्ष जनपद पंचायत
जिला नारायणपुर



तहसीलदार
छोटे डोंगर



संजय दिवेदी अनुविभागीय अधिकारी
क्रमांक 2 लोक निर्माण विभाग
नारायणपुर